न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 187 वर्ष 2024

आवेदक– सारो देवी | क्रेता– मीना देवी
ग्राम– साड़म | ग्राम– साड़म
थाना– गोमिया | **जिला–बोकारो** | थाना– गोमिया | जिला–बोकारो

आदेश की क्रम सं0 तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
	02	

28/5/25

आदेश

यह वाद **आवेदक–सारो देवी उर्फ सरस्वती देवी, पति–भिखन ठाकुर, पता–ग्राम+पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
साड़म	122	224	267	6.75 डी0	1½ डी0	रैयती टांड–2, वर्त्तमान स्वरूप परती
		216	155	04 डी0	04 डी0	रैयती दोन तीन वर्त्तमान स्वरूप परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 4,07,000/–(चार लाख सात हजार) रूपये में **क्रेता–मीना देवी, पति–रघु ठाकुर पता ग्राम+पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1107/रा0, दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–865, दिनांक–25.10.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः–

01. क्रेता एवं बिक्रेता दोनों की जाति नाई–हजाम है। जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में बुटना हजाम एवं पचकोड़ी भंडारी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–113,112, भौलुम सं0–24,24 पर सारो देवी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. जमाबन्दीधारी रैयत स्वयं बिक्रेता है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एवं बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में बुटना हजाम एवं पचकोड़ी भंडारी के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–113,112, भौलुम सं0–24,24 पर सारो देवी के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं

हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है किक्रेता एवं बिक्रेता दोनों की जाति नाई–हजाम है। जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो ~~खतियानी घरेलु बँटवारा के~~ केवाला आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक–सारो देवी उर्फ सरस्वती देवी, पति–भिखन ठाकुर, पता–ग्राम+पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमि:–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
साड़म 122	**224**	**267**	**6.75 डी0**	**1½ डी0**	**सुगन ठाकुर**	**ममता देवी**	**नहर**	**सत्यनारायण दे**
	216	**155**	**04 डी0**	**04 डी0**	**शरण राम**	**अशोक रवानी**	**खेत पियारी कहार**	**गुडरू मियां**

मो0 4,07,000/–(चार लाख सात हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–मीना देवी, पति–रघु ठाकुर पता ग्राम+पो0–साड़म, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

28.5.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

28.5.2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.11.07 13:00:13 +05:30
Location: 10.93.6.142